रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368] नई दिल्ली, शनिवार, जून 13, 1998/ज्येष्ठ 23, 1920
No. 368] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 13, 1998/JYAISTHA 23, 1920

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 1998

का.आ. 507 (अ).—लोक महत्व का निश्चित विषय, अर्थात् तारीख, 14 सितम्बर, 1997, को घटित विशाख रिफाइनरी अग्नि दुर्घटना की जांच करने के प्रयोजन के लिए भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संकल्प संख्यांक आर 30027/11/97-ओ आर II, तारीख 11 अक्तूबर, 1997 के अधीन एक जांच आयोग का गठन किया गया है;

और उक्त जांच आयोग अपना कार्य पूरा नहीं कर पाया है और 10 मार्च 1998 से कृत्य करना बंद कर दिया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक महत्व के निश्चित विषय अर्थात्, तारीख 14 सितम्बर, 1997 को घटित विशाख रिफाइनरी अग्नि दुर्घटना की जांच करने के प्रायोजन के लिए जांच आयोग की नियुक्ति करना आवश्यक है ।

2. अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक जांच आयोग की नियुक्ति करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

अध्यक्ष

(1) न्यायमूर्ति श्री एस. सी. जैन, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ।

सदस्य

(2) डा. टी.एस.आर. प्रसाद राव, निदेशक, भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून।

(3) श्री के. रविकुमार, कार्यकारी निदेशक, उच्च प्रौद्योगिकी केन्द्र, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली ।

3. आयोग को सौंपे गए कार्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(1) उन घटनाक्रमों का अवधारण करना, जिनके कारण 14 सितम्बर 1997 को विशाख रिफाइनरी में आग लगी और यदि उसमें कहीं कोई गलती हुई है तो उसे उपदर्शित करना;

(2) विशाख रिफाइनरी अग्निशमन सुविधाओं के लिए अग्नि सुरक्षा प्रणाली की पर्याप्तता की जांच करना;

(3) यह सुझाव देना कि क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली के रख-रखाव में रिफाइनरी प्रबंध मंडल और कर्मचारियों की ओर से कोई उपेक्षा या असावधानी हुई हो;

(4) बिन्दु (3) से उत्पन्न आगे की कार्रवाई, यदि कोई की जा सकती हो;

(5) साधारण रूप से किसी ऐसे अन्य मामले की रिपोर्ट करना जो आयोग की राय में सुसंगत हो ।

4. आयोग यथा संभवशीघ्र, किन्तु 12 अक्तूबर, 1998 तक केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा ।

5. यदि आयोग अनिवार्य समझे और उसकी वांछा करे तो विशेष परामर्शियों द्वारा सहायता दी जायेगी ।

6. आयोग का मुख्यालय, जो अंशकालिक आधार पर कार्य करेगा, नई दिल्ली में होगा ।

7. आयोग, अपनी प्रक्रिया स्वयं तैयार करेगा । यह ऐसी जानकारी मांग सकेगा और ऐसे साक्ष्य ले सकेगा जो वह आवश्यक समझे । भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग आयोग द्वारा अपेक्षित जानकारी देंगे और सहायता उपलब्ध कराएंगे । भारत सरकार का ऐसा विश्वास है कि आंध्र प्रदेश सरकार और सभी संबंधित पक्ष आयोग को अपना पूर्ण सहयोग देंगे और सहायता उपलब्ध कराएंगे ।

[एंडोर्समेंट सं. आर.-30027/34/97-ओ आर. II]

निर्मल सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 1998

S.O. 507(E).—Whereas a Commission of Inquiry has been set up under the Resolution of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. R-30027/11/97-OR.II dated the 11th October, 1997 for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely Visakh Refinery fire incident dated the 14th September, 1997;

And whereas the said Commission of Inquiry could not complete its work and has ceased to function with effect from the 10th March, 1998.

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, Visakh Refinery fire incident dated the 14th September, 1997.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of the following, namely :—

Chairman:

(1) Justice S.C. Jain, Retired Judge, Allahabad High Court.

Members:

(2) Dr. T.S.R. Prasada Rao, Director, Indian Institute of Petroleum, Dehradun.

(3) Shri K. Ravikumar, Executive Director, Centre for High Technology, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

3. The Commission will have the following terms of reference, namely:—

(1) to determine the sequence of events which caused the fire at Visakh Refinery on the 14th day of September, 1997 and, indicate, if there were any lapses;

(2) to examine the adequacy of the fire safety system for fire fighting facilities in Visakh Refinery;

(3) to advise whether there has been any negligence or carelessness on the part of the Refinery Management and staff in maintaining the fire safety systems;

(4) arising out of point (3) further action, if any, that may be taken;

(5) generally, to report on any other matter that is relevant in the opinion of the Commission.

4. The Commission shall submit its report to the Central Government as soon as possible, but not later than the 12th October, 1998.

5. The Commission will be assisted by Special Consultants, wherever necessary and desired by it.

6. The Headquarters of the Commission, which is to function on part-time basis, shall be at New Delhi.

7. The Commission shall devise its own procedure. It may call for any information and take any evidence as it may consider necessary. The Ministries/Departments of the Government of India shall furnish such information and render such assistance as may be required by the Commission of Inquiry. The Government of India trust that the Government of Andhra Pradesh and all other concerned will extend their fullest cooperation and assistance to the Commission.

[Endorsement No. R-30027/34/97-OR.II]

NIRMAL SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998